संख्या- 54 /2017/891/24-1-17-18पी/2014 टी0सी0

प्रेषक:

इन्द्रराज सिंह,
संयुक्त सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

प्रबन्ध निदेशक,
उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0,
शक्ति भवन, लखनऊ।

ऊर्जा अनुभाग-1 **लखनऊ : दिनांक 21 जुलाई, 2017**

विषय:- उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0 को वर्तमान वित्तीय वर्ष 2017-18 में वितरण नेटवर्क के सुदृढीकरण हेतु अंशपूँजी मद में वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक निदेशक (वित्त), उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लि0 के पत्र संख्या-481/एफएम/वि0प्र0-2/आय-व्ययक/299/2017-18, दिनांक 20.05.2017 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि चालू वित्तीय वर्ष 2017-18 में उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लि0 को वितरण नेटवर्क के सुदृढीकरण हेतु अंशपूँजी मद में कुल प्राविधानित धनराशि रूपये 950,00,00,000/- (रूपये नौ सौ पचॉस करोड़ मात्र) में से लेखानुदान अवधि हेतु उपलब्ध धनराशि रूपये 395,82,00,000/- (रूपये तीन सौ पन्चान्नबें करोड़ बयासी लाख मात्र) में से धनराशि रूपये 50,00,00,000/- (रूपये पचॉस करोड़ मात्र) की धनराशि आहरति कर व्यय किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है।

2- प्रस्तर-1 में स्वीकृत धनराशि रूपये 25,00,00,000/- (रूपये पच्चीस करोड़ मात्र) की दो समान किश्तों में माह जुलाई, 2017 एवं माह सितम्बर, 2017 में आहरित की जायेगी।

3- प्रस्तर-1 में स्वीकृत की जा रही धनराशि का उपयोग सामान्य योजना के अन्तर्गत विद्वुत वितरण नेटवर्क के सुदृढीकरण हेतु यू0पी0पी0सी0एल0/डिस्काम्स के बिजनेस प्लान के वित्त पोषण के लिए किया जायेगा। अवमुक्त धनराशि का उपयोग अन्य किसी कार्य हेतु कदापि नहीं किया जायेगा तथा इन कार्यों को व्यापार विकास निधि से कराये जाने वाले कार्यों तथा विशेष घटक योजना के अन्तर्गत कराये जाने वाले कार्यों से पूर्णतया पृथक रखा जाये।

4- प्रस्तर-1 में स्वीकृत धनराशि का आहरण वास्तविक आवश्यकता होने पर किया जायेगा।

5- प्रस्तर-3 में अंकित व्यवस्था का प्रभावी अनुश्रवण सुनिश्चित कराते हुए वर्ष 2017-18 में वितरण कार्यो के लिए राज्य सरकार द्वारा उ0प्र0 पावर कारपोरेशन को अंशपूँजी के रूप में स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष डिस्कॉमवार, भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्यों के समस्त वास्तविक वित्तीय एवं भैतिक प्रगति का विवरण अलग-अलग से सभी डिस्काम्स के प्रबन्ध निदेशकों से प्राप्त कर शासन को तत्काल उपलब्ध कराया जायेगा और जहॉ पर कार्य कराया गया है, उनके स्थलों का विवरण भी उपलब्ध कराया जायेगा।

6- प्रस्तर-1 में स्वीकृत धनराशि के आहरण हेतु कारपोरेशन के सक्षम प्राधिकारी द्वारा वित्तीय नियम संग्रह खण्ड-5 भाग-1 के प्रपत्र संख्या-42जी/शुद्ध पत्र संख्या-426, दिनांक 13-जुलाई, 1971 द्वारा निर्धारित प्रपत्र पर बिल बनाकर प्रतिहस्ताक्षर हेतु ऊर्जा अनुभाग-1, उत्तर प्रदेश शासन को उपलब्ध कराया जायेगा।

http://shasanadesh.up.nic.in

7- स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष समय-समय पर व्यय की गयी धनराशि का सम्पूर्ण विवरण यथा कोषागार का नाम जहाँ से धनराशि आहरित की गयी है, बाउचर संख्या, आहरण की तिथि, लेखाशीर्षक आदि तथा आहरित धनराशि के संबंध में उपयोगिता प्रमाण-पत्र महालेखाकार, उत्तर प्रदेश इलाहाबाद/ लखनऊ और ऊर्जा विभाग/ वित्त विभाग, उत्तर प्रदेश शासन को नियमानुसार उपलब्ध कराने की बाध्यता होगी।

8- आयोजनागत मदों में स्वीकृत की जा रही धनराशि का उपयोग किसी भी दशा में आयोजनेत्तर मदों में नहीं किया जायेगा।

9- यह सुनिश्चित किया जाय कि स्वीकृत की जा रही धनराशि का उपयोग उन्ही कार्यों के लिए हो जो संबंधित डिस्काम्स द्वारा अपरिहार्य रूप से कराये जाने हो तथा जिनकी तकनीकी एवं वित्तीय स्वीकृति सक्षम स्तर से प्राप्त कर ली गयी हो। यथासम्भव अवमुक्त धनराशि का उपयोग किये जाने में उन कार्यो को प्राथमिकता प्रदान की जाये जो प्रारम्भ किये जा चुके हो तथा अधूरे पडे हो।

10- इस शासनादेश में निर्धारित विशिष्ट शर्तों का अनुपालन निदेशक (वित्त), उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0 द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।

11- इस संबंध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2017-18 के अनुदान संख्या-9 के लेखाशीर्षक "4801-बिजली परियोजनाओं पर पूॅजीगत परिव्यय-आयोजनागत-05-संचरण तथा वितरण-190-सार्वजनिक क्षेत्र तथा अन्य उपक्रमों में निवेश-08-उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लि0 को वितरण नेटवर्क के सुदृढीकरण हेतु अंशपूॅजी30-निवेश/ऋण" के नामे डाला जायेगा।

11- यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या - ई - 10 - यू0ओ0 - 97 /दस-2017, दिनांक 19 जुलाई, 2017 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहें हैं।

भवदीय,

इन्द्रराज सिंह
संयुक्त सचिव।

<u>संख्या- 54 /2017/891(1)/24-1-17, तददिनांक</u>।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकार, (लेखा एव हकदारी) प्रथम, उ0प्र0 सरोजनी नायडू मार्ग, इलाहाबाद 211001।
2- महालेखाकार, (लेखा परीक्षा) प्रथम, उ0प्र0 सरोजनी नायडू मार्ग, इलाहाबाद 211001।
3- महालेखाकार, (आर्थिक एवं राजस्व लेखा परीक्षा), उ0प्र0, छठवां तल केन्द्रीय भवन, सेक्टर-एच, अलीगंज लखनऊ।
4- मुख्य कोषाधिकारी, लखनऊ।
5- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-10/वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 / राज्य योजना आयोग-1/ गार्ड बुक।

आज्ञा से,

मणीन्द्र शर्मा
उप सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in